15/10/15 पत्रावली पेश हुई वकील ...
पीठासीन अधिकारी ...
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... दिनांक 10/11/15
......C.I.C...........
को पेश हो।

10/11/15
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.!
पीठासीन अधिकारी ... में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ....
तामील अवलोकन....... दिनांक 28/1/2016
को पेश हो।

C.NO- 172/205 भवंरसिंह V/s सरकार

28/1/2016 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप./ वकील प्रार्थी
द्वारा अप्रार्थी 24 के रजि. डाक के नम्बर पेश किये
जो शामिल मिसल। अप्रार्थी 01 से 23 व 25 से
31 को तामिल हो चुकी है किन्तु वे अनुपस्थित है
अतः अप्रार्थीगण 01 से 23 व 25 से 31 के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।
वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र वास्ते अप्रार्थी 24 का
नाम तर्क किये जाने बाबत का पेश किया जिस पर
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई, न्यायहित में प्रा.
पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं 24
का नाम तर्क किया जाता है।
वकील प्रार्थी की मूल प्रा० पत्र 111_128 LR Act पर
बहस सुनी गई। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली के
शा. किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 172/2025

भंवर सिंह पलाडा पुत्र श्री पीरु सिंह, आयु–55 वर्ष लगभग, जाति– राजपूत, निवासी– 31, शिव सदन, सर्वेश्वर नगर, अजमेर, जिला– अजमेर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ
2. आचूकी देवी पत्नि रामदेव,
3. देवकरण पुत्र शोन्या
4. विश्राम पुत्र शोन्या

सर्वजाति– गुर्जर, निवासीगण ग्राम नोहरिया, तहसील– किशनगढ, जिला– अजमेर (राज०)

5. अमित पुत्र काना,
6. आचूकी पत्नि रामेश्वर,
7. किशन पुत्र भूरा,
8. नाबालिग खुशी पुत्री लक्ष्मण जरिये संरक्षक माता सोना
9. गोरधन पुत्र भूरा,
10. चन्ता पत्नि छोटू
11. जयश्री पुत्री काना,
12. नाबालिग ज्योति पुत्री लक्ष्मण जरिये संरक्षक माता सोना,
13. नंदू पुत्री काना,
14. नारायण पुत्र छोटू,
15. नोरत पुत्र भूरा,
16. पूनादेवी पुत्री भूरा,
17. पुष्पा पुत्री छोटू
18. बिदाम देवी पत्नि काना,
19. भागचन्द पुत्र काना,
20. महेन्द्र पुत्र रामेश्वर,
21. रतनी पुत्री भूरा,
22. रामदेव पुत्र काना,
23. लाडॉ पुत्री छोटू
24. लाली पुत्री भूरा,
25. लाली देवी पुत्री रामेश्वर,
26. शंकरलाल पुत्र रामेश्वर,
27. सुरेश पुत्र छोटू,
28. नाबालिग सागर पुत्र लक्ष्मण जरिये संरक्षक माता सोना,
29. नाबालिग सीमा पुत्री लक्ष्मण जरिये संरक्षक माता सोना,
30. सोना पत्नि लक्ष्मण, सर्वजाति– खटीक, निवासीगण ग्राम नोहरिया, तहसील–किशनगढ, जिला– अजमेर (राज०)
31. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबंधक बान्दरसिन्दरी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

28/1/26

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री कुश कुमार के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात जो कि राजस्व ग्राम–नोहरिया, पटवार हल्का क्षेत्र मुण्डोती, भू० अभि० नि० क्षेत्र– पाटन, तहसील– किशनगढ़, जिला– अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार खसरा संख्या 272 व 273 है एवं जिसका रकबा 0.3802 हैक्टेयर व 0.2427 हैक्टेयर है। प्रार्थी की खातेदारी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के खेत से लगती हुई सीमाओ के खेत के खसरा नम्बर क्रमशः 271, 829/272, 275 व 274 है जिनके खातेदारो को इस प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी अपने कार्य से गांव नोहरिया से अक्सर बाहर आता जाता रहता है प्रार्थी को इस बात का पूर्ण अंदेशा है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की अनुपस्थीती में उसकी जमीन पर नाजायज रुप से कब्जा करने की नियत रखते है तथा प्रार्थी ने जब जब अपनी आराजी की सुरक्षा करने बाबत् उसमें सुधार करने का प्रयास किया है तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को सीमा संबधी विवाद होने के कारण रोका है। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर के सीमा ज्ञान हेतु तहसीलदार महोदय, किशनगढ के यहा आवेदन पर तहसीलदार के आदेश महोदय, किशनगढ क्रमांक / भू०अ०/सीमाज्ञान /2025/165 दिनांक 09.04.2025 को सीमाज्ञान के आदेश प्रदान किये जिसके अनुसरण में ग्राम नोहरिया के खसरा 272, 273 कुल रकबा 0.6225 हैक्टेयर का सीमाज्ञान भू०अभिलेख निरीक्षक पाटन व हमराह पटवारी हल्का मुण्डोती के द्वारा दिनांक 26. 05.2025 को सीमाज्ञान कर प्रार्थी को उसकी सीमाओ से अप्रार्थीगण की मौजूदगी में अवगत करवाया, अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर पर सीमाज्ञान के पश्चात् मौके पर्चा पर हस्ताक्षर नही किये और सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर लगातार विवाद की स्थिती उत्पन्न कर रहे है। अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की राजस्व ग्राम नोहरिया मे स्थित खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 272 व 273 की सीमाओ का नाप कर सीमा चिन्ह लगवाते हुए पत्थरगढी के आदेश न्यायहित में प्रदान करे एवं प्रार्थी के हक में जो उचित हो आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2025 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 28.01.2026 तक भी बावजूद तामिली के अप्रार्थी संख्या 01 से 23 व 25 से 31 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. दिनांक 28.01.2026 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते नाम तर्क करने बाबत का पेश किया गया जिसे स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 24 का नाम तर्क कर दिया गया।
4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त भूमि का का नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस / जमाबंदी अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष मे आदेश प्रदान करने की कृपा करावे एवं तहसीलदार किशनगढ को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से की जावे।
5. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एबं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन भूमि ग्राम नोहरिया 272, 273 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है , तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 26.05.2025 को वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा संख्या ग्राम नोहरिया 272, 273 के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नोहरिया स्थित भूमि खसरा संख्या 272 रकबा 0.3802 हैक्टैयर तथा खसरा संख्या 273 रकबा 0.2427 हैक्टैयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 2000/– अक्षरे दो हजार रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि

28/1/26

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 2000/– अक्षरे दो हजार रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । जो पक्षकार मृत हो चुकें है उनके विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

28/1/26

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)